राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप–2/2011 जयपुर, दिनांक : 21.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः– **राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी। इसके बावजूद भी राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से सामूहिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है।

उक्त स्थिति के मध्यनजर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है कि आप अपने स्तर पर जिले में सेवानिवृत्त चिकित्सक, एम. बी. बी. एस. डिग्रीधारी चिकित्सक, पी. जी. डिग्रीधारी चिकित्सक जो राजकीय सेवा में नहीं है, को हडताल के दौरान रूपए 1000/– प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर रखकर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें।

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
8. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
9. निजी /रक्षित पत्रावली

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव